Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अजमेर में नगर निगम पार्षद एवं दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *14 फरवरी, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर इन्टेलिजेंस अजमेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये वीरेन्द्र वालिया पार्षद वार्ड नं0 79, नगर निगम, अजमेर एवं उसके दलाल रोशन (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की इन्टेलिजेंस अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि आवासीय भूखण्ड पर करवाये जा रहे निर्माण कार्य को अवैध बताकर नहीं तोड़ने तथा निर्बाध रूप से चलने देने की एवज में वीरेन्द्र वालिया पार्षद वार्ड नं0 79, नगर निगम, अजमेर द्वारा उसके दलाल रोशन (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से **50 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी इन्टेलिजेन्स, अजमेर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री पारसमल** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्रीमती कंचन भाटी** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये वीरेन्द्र वालिया पुत्र स्व. श्री हरवंश वालिया निवासी बी–42, अरावली विहार, वैशालीनगर, पुलिस थाना क्रिश्चयनगंज, अजमेर हाल पार्षद वार्ड नं0 79, नगर निगम, अजमेर एवं उसके दलाल रोशन पुत्र श्री नाथू चीता निवासी ईदगाह कॉलोनी, चौरासिया दास, वैशालीनगर, अजमेर (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।